भारत का राजपत्र

परिशिष्ट

फॉम – 'क'

1 सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा – 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेनो का फार्म।

भाग – 1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना का विवरण		
1.	अपेक्षित वन भूमि प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में जिला योजना के अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 3.00 कि0मी0)
2.	150000 स्केल मैप पर वनभमि और उसके आसपास के वनो की सीमाओ को दर्शाने वाला मैप संलग्न है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
3.	परियोजना की लागत	रू0 37.80 लाख।
4.	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	अन्य कोई विकल्प न होने के कारण मार्ग का निर्माण वन क्षेत्र से किया जा रहा है।
5.	लगत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	संलग्न है।
6.	रोजगार जिनके पैदा होने के संभावना है	निर्माण अवधि में 1 हजार मानव दिवस अस्थाई रूप से सृजित होगे। कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवशर प्राप्त होंगे।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सिविल वनभूमि 0.090 है0 है। आरक्षित वनभूमि 2.205 है0 है। **कुल योग 2.295 है0**
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है तो	कोई नहीं है।
क	परिवारों की संख्या	190
ख	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।
ग	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) संलग्न है/लागू नहीं	शून्य।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है। (हॉ/नहीं) – नहीं	हां
5	प्रतिपूरक वनीकरा करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय) – संलग्न है।	प्रस्ताव में संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजो का ब्योरा।	समस्त प्रमाण पत्र चैक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न है।

हस्ताक्षर

(इं0 ए0एस0 भण्डारी)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)।

दिनांक ....

\Server\\bhgdwrikhal se jamthiyalgaw.doc

www.cxpdf.com

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।) प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग(कुल लम्बाई–3.00किमी0) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र(है0 में)	2.295 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	2.205 है0 आरक्षित वन भूमि रिंगालगढ़ कक्ष सं0–4 0.090 है0 सिविल भूमि ग्राम रिंगालगढ़ 2.295 है0
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल. –2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में विभिन्न प्रजाति एंव व्यास वर्ग के (आरक्षित वन–108, नाप भूमि–18) कुल 126 वृक्ष बाधक है। जिसमें से विभिन्न व्यास वर्ग के (आरक्षित वन–19, नाप भूमि–12) कुल 31 वृक्ष बॉज प्रजाति के सम्मिलित है। उक्त सभी वृक्षों की प्रजातिवार /व्यासवार गणना एंव मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक 19 से 21 पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 46 से 49 पर वरिष्ट भू–वैज्ञानिक, प्रमुख अभियन्ता एंव विभागध्यक्ष,उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून की दि0 28–02–2015 की आख्या चस्पा की गयी है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन रिंगालगढ़ कक्ष सं0–4 एंव ग्राम रिंगालगढ़ की नाप भूमि की सीमा अर्न्तगत स्थित है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 22 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	——नहीं——
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ऐतिहासिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत् प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 53 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक, राजस्व एंव वन विभाग द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 52 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	– नहीं–
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात 5.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि ग्राम ग्वाली डांडा में चयन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एंव मानचित्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 30 से 34 पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात 5.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि ग्राम ग्वाली डांडा में चयन किया गया है। जो प्रस्तावित स्थल से लगभग 7.00 किमी0 दूर है तथा चयनित स्थल ढ़ालदार एंव पहाड़ी क्षेत्र है।

प्रभागीय अधिकारी

(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियां:–** जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सी:–** स्वयं वन विभाग। **समय:–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागत:–** प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है0 वन भूमि के बदले दुगने 4.59 अर्थात 5.00 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 10,46,830.00 (रू0 दस लाख छियालीस हजार आठ सौ तीस) मात्र का प्राक्कलन एंव मानचित्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 30 से 34 तथा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 8,46,014.00 (रू0 आठ लाख छियालीस हजार चौदह) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 37 से 39 पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 10,46,830.00 (रू0 दस लाख छियालीस हजार आठ सौ तीस) मात्र प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 8,46,014.00 (रू0 आठ लाख छियालीस हजार चौदह) मात्र
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक – 35 पर चस्पा है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ;गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 12 से 13 पर चस्पा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 12–05–2016 को किया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 14 पर चस्पा है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला– टिहरी गढ़वाल
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4421 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 92 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 431.847 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :–(ख) वनेतर भूमि पर:–	(क) 119.5422 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:– (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1– 233.64 है0 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रष्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांकः 19.5.2016 ।
स्थानः– मसूरी,

नामः– (डा0 धीरज पाण्डेय)
सरकारी मुहर
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

www.oxbig.com

भाग– III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

हस्ताक्षरः

तिथि..................
स्थान.................

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

www.oxpdf.com

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17.	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दीं जाय)	

हस्ताक्षरः

तिथि :
स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

www.oxpdf.com

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17.	राज्य सरकार की सिफारिशः(उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षरः
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

www.Oxpdf.com